BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध मादक पदार्थ के आरोपी को 01 वर्ष 08 माह का कारावास व 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मुबीन पुत्र सद्दीक निवासी टीकरी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर को वर्ष- 2019 में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 225 नशीली गोलियों सहित तथा वर्ष-2022 में 600 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में क्रमशः थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 03.07.2019 को पर मुअसं- 568/19 धारा- 21/22 एनडीपीएस एक्ट एवं दिनांक 22.08.2022 को मुअसं-716/22 धारा 21/22 एनडीपीएस एकट पंजीकृत हैं। उपरोक्त दोनो अभियोगों में क्रमशः दिनांक 27.07.2019 व दिनांक 14.09.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन दोनो अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 17.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-04 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुबीन को 01 वर्ष 08 माह व 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर